पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-26

मंगलवार, दिनांक-02 अप्रील, 2013 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.55 बजे अपराह्न तक ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 01 अल्प सूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 15 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iii) 01 तारांकित प्रश्न क्रमांक 3362 नगर विकास एवं आवास विभाग को स्थानान्तरित ।

(iv) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।

(v) 38 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[2] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निम्नांकित मा० सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

(i)	श्री प्रदीप कुमार	(ii)	श्री जनक सिंह
(iii)	श्री राजेश्वर राज	(iv)	श्री अरूण शंकर प्रसाद
(v)	श्री राम नरेश प्रसाद यादव	(vi)	श्री संजय सिंह ''टाइगर''
(vii)	श्री कृष्णनन्दन यादव	(viii)	श्री अशोक कुमार सिंह
(ix)	श्री ललन राम	(x)	श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह
(xi)	श्री रणधीर कुमार सोनी	(xii)	डा० दाउद अली
(xiii)	श्री कुमार शैलेन्द्र	(xiv)	श्री विनोद प्रसाद यादव
(xv)	श्री कन्हैया कुमार		

''क्रमांक (vi) की सूचना पर सरकार द्वारा संज्ञान लिया गया ।

[3] <u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u> :-

(i) मा० उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के बिहार सरकार का वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे खण्ड-1, वित्त लेखे खण्ड-2 एवं विनियोग लेखे की एक-एक प्रति को सदन पटल पर उपस्थापित किया गया तथा इनके जनता में बिक्री का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(ii) मा० उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 2011-12 का प्रतिवेदन 'राज्य का वित्त' की प्रति को सदन पटल पर रखा गया तथा इसके जनता में बिक्री का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[4] <u>ध्यानाकर्षण सूचनाएँ</u> :-

(i) मा० सदस्य श्री सुमित कुमार एवं अन्य सभासदों का शिक्षा विभाग से संबंधित दिनांक 01, 06, 11, 15, 20 एवं 01.04.2013 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर दिनांक 03.04.2013 तक के लिए स्थगित हुआ ।

(ii) मा० सदस्य श्री ललित कुमार यादव का श्रम संसाधन विभाग से संबंधित दिनांक 01.04.2013 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर मा० प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया ।

(iii) मा० सदस्य श्री सदानन्द सिंह एवं अन्य सभासदों का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित दिनांक 01.04.2013 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना को मा० सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा मा० प्रभारी मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

(iv) मा० सदस्य श्री संतोष कुमार एवं अन्य सभासदों का गृह (आरक्षी) विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को मा० सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा मा० प्रभारी मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

(v) मा० सदस्य श्री वीरेन्द्र सिंह एवं अन्य सभासदों का गृह (आरक्षी) विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को मा० सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा मा० प्रभारी मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

[5] <u>सरकार का वक्तव्य</u> :-

राज्य से सी०आर०पी०एफ० बटालियन के हटाए जाने के संदर्भ में दिनांक 01.04.2013 को मा० सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल द्वारा दिए गए शून्यकाल की सूचना पर मा० सदस्यों के द्वारा इस विषय में सरकारी वक्तव्य दिए जाने की माँग के आलोक में सरकार द्वारा इस विषय में वक्तव्य दिया गया ।

(भोजनावकाश के बाद)

समय 02.00 बजे अप० से 4.35 बजे अप० तक ।

[6] <u>विधायी कार्य</u> :- <u>राजकीय विधेयक</u> :-

(i) **बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013** :-

मा० प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग श्री पी०के० शाही द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

मा० सदस्य श्री अब्दुल गफूर द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

मा० सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

मा० सदस्य श्री अब्दुल गफूर द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में मा० सदस्य श्री अवधेश कुमार राय का खण्ड-3 में एक तथा खण्ड-5 में एक संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

मा० प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । नेता प्रतिपक्ष श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा स्वीकृति के प्रस्ताव के विरोध में अपना पक्ष रखा गया । मा० प्रभारी मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(ii) **पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 :-**

मा० प्रभारी मंत्री, श्री पी०के० शाही द्वारा विधेयक सदन की अनुमति से सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

मा० सदस्य श्री अब्दुल गफूर द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

मा० सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

मा० सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खंडश: विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

मा० प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(iii) **आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013:-**

मा० प्रभारी मंत्री, श्री पी०के० शाही द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

मा० सदस्य श्री अखतरूल इस्लाम शाहिन द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खंडश: विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

मा० प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

मा० नेता प्रतिपक्ष श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा गया ।

मा० प्रभारी मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया ।

(सी०पी०आई० को छोड़कर विपक्ष के सभी सदस्यगण विरोध में सदन से बहिर्गमन कर गए)

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(iv) **बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 :-**

मा० प्रभारी मंत्री, श्री पी०के० शाही द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

(सी०पी०आई० के मा० सदस्य विरोध में सदन से बहिर्गमन कर गए)

मा० सदस्य श्री अखतरूल इमान द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

मा० सदस्य श्री अखतरूल इमान द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खंडश: विचार के क्रम में मा० सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी का खण्ड-3 में दो, खण्ड-4 में एक, खण्ड-5 में एक एवं खण्ड-9 में दो संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

मा० प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । स्वीकृति के प्रस्ताव पर मा० नेता विरोधी दल श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा अपना पक्ष रखा गया ।

मा० प्रभारी मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया ।

(आसन द्वारा सदन की सहमति से आज के कार्यों के निष्पादन तक सदन की अवधि का विस्तार किया गया ।

सदन द्वारा विधेयक ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(विपक्ष के मा० सदस्यगण सदन की अवधि का विस्तार का प्रस्ताव सरकार की ओर नहीं किए जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन कर गए)

(v) **बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 :-**

मा० प्रभारी मंत्री, श्री रामाधार सिंह द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

मा० प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

सदन द्वारा विधेयक ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(vi) **बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 :-**

मा० प्रभारी मंत्री, श्री रामाधार सिंह द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

मा० प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के संबंध में पक्ष रखा गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

मा० प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

मा० मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति के प्रस्ताव पर पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[7] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल 33 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएँगें ।

तदुपरांत सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 03.04.2013 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-02.04.2013

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।